स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 169, दिनांकः 31—05—2025

कई अभियोगों में वांछित रूपये—1,00,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अजय तिवारी व रूपये—25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी रमेश यादव जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार।

दिनांक 31—05—2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को कई अभियोगों में वांछित रूपये 1,00,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अजय तिवारी एवं रूपये 25000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी रमेश यादव को जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. अजय तिवारी पुत्र चुम्मन तिवारी, निवासी वार्ड नं0—05 रामगुलाम टोला, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया।
2. रमेश यादव पुत्र बृजनारायण यादव साकिन सिरसिया महदेवा टोला, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया।

अभियुक्त से बरामदगी—

1— 03 अदद मोबाइल फोन।
2— 01 अदद आधार कार्ड।
3— 01 अदद निर्वाचन कार्ड।
4— 01 अदद पैन कार्ड।
5— 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
6— 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

दिनांक 31.05.2025 समय प्रातः 09.30 बजे गिरफ्तारी का स्थान—ग्राम दामोदरी सिंगहा, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के निर्देशन में तथा उ0नि0 श्री यशवंत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अपराधी अजय तिवारी व रमेश यादव उपरोक्त जिसके विरूद्ध लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अजय तिवारी के विरूद्ध रू0 एक लाख का पुरस्कार भी घोषित है तथा रमेश यादव के विरूद्ध रू0 पच्चीस हजार का पुरस्कार घोषित है, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए जनपद कुशीनगर में छिपकर रह रहे हैं।

इस सम्बन्ध में एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर की टीम द्वारा जनपद कुशीनगर में रहकर सुरागरसी–पतारसी की जा रही थी। अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि अजय तिवारी व रमेश यादव एक साथ छिपकर रह रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ०नि० श्री यशवंत सिंह, मु०आ० महेन्द्र प्रताप सिंह, मु०आ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, मु०आ० उमेश कुमार सिंह, मु०आ० मो0 इमरान खान, मु०आ० अशोक कुमार सिंह, मु0आ0 चन्द्र भूषण सिंह, मु०आ० विनय कुमार सिंह, मु०आ० विनोद कुमार सिंह, मु०आ० गौरव प्रताप सिंह, मु०आ० रणधीर सिंह, मु०आ० मोहित कुमार गौड़ द्वारा इस सूचना से घेराबन्दी की गयी तथा उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरादगी हुई।

अभियुक्त अजय तिवारी ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता देवरिया में संजय केडिया के यहां घरेलु काम करते थे। संजय केडिया शराब की दुकान और गोदाम चलाता था। वह वर्ष 2007 से वैध गोदाम दूसरे का लाइसेंसी शराब की दुकान लेकर चलाने लगा। बाद में बिहार में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त हुआ, जिसे अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह के साथ मिल कर काफी मात्रा में शराब बिहार भेजने लगा जिससे काफी पैसा बनाया। सारा पैसा जो वह सब बनाया था, से कुछ जमीन में, लाइसेंसी शराब की दुकान में तथा भट्ठा में लगाया। जिनका शराब का गोदाम या दुकान था उनका पैसा लेकर कोलकाता की एक कम्पनी फिजाइन इन्ट्रूमेण्ट प्रा0लि0 में लगा दिया। इस तरह से कई व्यवसायी लोगों से व्यापार व जमीन के नाम पर ठगी करके पैसा बनाये था। रमेश यादव, अजय तिवारी के हर कार्य में भागीदार की तरह कार्य करता था।

अजय तिवारी पर लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। यह अपराधी 970/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना कोतवाली, जनपद देवरिया व 1162/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 504, 506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में यह वाँछित चल रहा था, जिस पर इसकी गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा रूपये–1,00,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

रमेश यादव पर पद दो अभियोग पंजीकृत हैं। मु0अ0सं0 970/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना कोतवाली, जनपद देवरिया व मु0अ0सं0 1162/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 504, 506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में यह वाँछित चल रहा था, जिस पर इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया द्वारा रूपये–25,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अजय तिवारी का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	144/2021	147, 148, 395, 323, 504, 506 भा0द0वि0	गौरीबाजार	देवरिया
2	207/2023	60/63 आबकारी अधिनियम	बनकटा	देवरिया
3	970/2024	419, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि	कोतवाली	देवरिया
4	1162/2024	406, 420, 467, 468, 504, 506 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया

5	181/2025	406, 420, 467, 468, 471, 506 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया
6	182/2025	406, 420, 467, 468, 471, भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया

रमेश यादव का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	970/2024	419, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि	कोतवाली	देवरिया
2	1162/2024	406, 420, 467, 468, 504, 506 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया

उपरोक्त अभियुक्तों के अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में उपरोक्त अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना कोतवाली जनपद–देवरिया पुलिस द्वारा की जायेगी।